न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का कठूमर बनाम हीराचन्द पुत्र ब्रा॰ कठूमर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- 49/17/RA

निर्णय दिनाँक :- 7/3/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कठूमर की आ॰ख॰न॰ 215 कुल रकबा 0.06 किस्म जमीन गैरमु॰ रास्ता में से 650 वर्गफुट रकबे पर श्री हीराचन्द वल्द, ठाकुर ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पक्की दीवार बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का कठूमर द्वारा दिनाँक 29/9/17 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी हीराचन्द वल्द पुत्र कुन्दन जाति ब्राह्मण निवासी कठूमर को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ॰ख॰न॰ 215 रकबा 0.06 में से .... रकबे किस्म गैरमु॰ रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा मौका अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 4 Paise का 50 गुणा 2/- Two रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी .... भू॰अ॰निरी॰ कठूमर को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)